रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062022-236778 CG-DL-E-24062022-236778

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2718] No. 2718] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2022/आषाढ़ 3, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2022/ASHADHA 3, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालाय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2022

का.आ. 2858(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध अर्थात :—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45क से धारा 45 ज;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73; और
- (iii) अध्याय ६ की धारा ७४, धारा ७५, धारा ७६ की उपधारा (2) से (4), धारा ८४, और धारा ८४ ।

तमिलनाडु राज्य के तूतुकुड़ी जिले के सभी क्षेत्रों में प्रवृत होंगे ।

[फा. सं. एस-38013 / 04 / 2022-एस.एस. I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

4212 GI/2022 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2022

- **S.O. 2858(E)**.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2022, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—
 - (i) sections 38,39,40,41,42,43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
 - (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
 - (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI, shall come into force in all the areas of Thoothukudi district in the Tamil Nadu.

[F. No. S-38013/04/2022-SS-I]

VIBHA BALLA, Jt. Secy.